2022/63

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री ओबाराम पुत्र श्री छोगाजी जाति भील निवासी पाडीव तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 16 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 23.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 09.09.2021 को जिला कलक्टर (सतर्कता एवं जन अभाव अभियोग) सिरोही को खसरा संख्या 3564/2678 के सम्बन्ध शिकायत प्रस्तुत की। उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 23.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 09.09.2021 को जिला कलक्टर (सतर्कता एवं जन अभाव अभियोग) सिरोही को खसरा संख्या 3564/2678 के सम्बन्ध शिकायत प्रस्तुत की। उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट की सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 708 दिनांक 31.12.2021 के द्वारा यह सूचित किया था कि अपीलांट द्वारा दिनांक 09.09.2021 को जिला कलक्टर (सतर्कता एवं जन अभाव अभियोग) सिरोही को कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। पत्रा[illegible] अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वा[illegible] सिरोही में की है। अतः अपीलांट तहसील कार्यालय सिरोही से सूच[illegible] करें। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रा[illegible] फैसल शुमार होकर नंबर [illegible] हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2022.02.15 18:17:25 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner